बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा योजना

रिक्शा का प्रचलन भारत में 1920 के दशक में हुआ था। प्रदेश के महानगरों, अन्य नगरीय इलाकों के साथ ही नगर पालिकाओं और नगर पंचायत क्षेत्रों में मानव चालित रिक्शा कम दूरी के आवागमन का प्रमुख एवं सर्व सुलभ साधन है। अधिकां"ा रिक"ाा चालक समाज के निर्धन एवं कमजोर तबके के साधनहीन समुदाय के हैं जो कि पूँजी एवं संसाधनों के अभाव में जीवन–यापन हेतु रिक्शा चलाते हैं। प्रदेश के महानगरों तथा नगरों में अप्रैल 2012 में एकत्र किये गये आंकड़ों के आधार पर कुल 248839 पंजीकृत रिक्शा चालक हैं।

मानव चालित रिक्शा चलाने में अत्यधिक श्रम निहित होने व Aerodynamic drag अत्यधिक होने के कारण रिक्शा चालकों के फेफड़ों पर जोर पड़ता है जिससे प्रायः वे टी0बी0 जैसे रोग से पीड़ित हो जाते हैं।

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीति के प्रभावो क्रियान्वयन के तहत समाज के इस मेहनतक”ा रिक्”ाा चालक समुदाय की कठिनाईयों को पूरी संजीदिगी और शिद्दत से महसूस किया है। उ0प्र0 सरकार ने प्रभावी पहल करते हुये मौजूदा पारम्परिक सवारी रिक्शा चालकों को अत्यन्त दूरूह और हाड़तोड़ शारीरिक परिश्रम से राहत दिलाये जाने हेतु मोटर/बैटरी चालित/ सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक सिस्टम से बनाया गया रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना शुरू किये जाने का प्रस्ताव ह। निश्चय ही यह प्रदेश के मेहनतकश रिक्शा चालकों को उन्हें अपना रिक्”ाा उपलब्ध कराकर पूर्णकालिक स्वरोजगार मुहैया कराने में सक्षम सिद्ध होगी।

मोटर/बैटरी चालित/ सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक सिस्टम से युक्त रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य रिक्शा चालक को उन्हें अपने रिक्”ो का मालिक बनाना है। सम्बन्धित रिक्”ाा चालक को बैटरी चालित अथवा

सौर उर्जा चालित रिक्शे उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है।

प्रशासनिक विभाग नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग होगा एवं नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) होगी। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी। प्रदेश के सभी जनपदों के पात्र निजी स्वामित्व के रिक्शा चालकों कोयोजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत निजी स्वामित्व के रिक्शा चालक लाभान्वित होंगे।

रिक्शा चालकों की सहूलियतों का ध्यान रखकर सही तकनीक के आधार पर रिक्”ाों का चयन किया जायेगा। रिक्शा चालकों को रिक्”ा का मालिकाना हक दिया जायेगा परन्तु शर्त यह होगी कि वह उक्त रिक्शे को बेच नहीं सकेंगे। आधुनिक रिक्”ाों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्रों की लब्ध–प्रतिष्ठ कम्पनियों से सम्पर्क कर उनसे प्रस्ताव लेकर आधुनिकतम मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्”ाों की उपलब्धता की

संभावनाएं तला”ा की जाएगी। आधुनिक रिक्”ाों के रख–रखाव की भी वि”ोष व्यवस्था की जाएगी।

योजना का लाभ प्रदेश के ऐसे निजी स्वामित्व के रिक्शा चालकों को प्रदान किया जायेगा, जो कि संबंधित जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में दिनांक 15.03. 2012 की सुनिश्चित् तिथि (कट ऑफ डेट) तक औपचारिक रूप से पंजीकृत होंगे।

प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के साथ किया जायगा तथा अनुमन्य अनुदान राशि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना से समायोजित की जायेगी।योजना के सफल संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्र”ाासनिक समिति गठित की गयी है तथा तकनीकी वि”ोषज्ञों की समिति का गठन किया गया है।